

## आदेश

अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा वादी को प्रतिवादीगण जसवीर सिंह वगैरा के नाम से दर्ज भूमि चक 4 एच छोटी के खाता संख्या 34/56 के मुरब्बा नम्बर 37 की 0.506 है० में से 0.012 है० भूमि व खाता संख्या 15/19 के मुरब्बा नम्बर 37 की कुल 1.044 है० में से 0.013 है० भूमि कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। अतः उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण का नाम कलमजन कर वादी का नाम दर्ज किया जावे यथा डिक्री जारी हो।

आदेश अधिवक्तागण की उपस्थिति में खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 08 जुलाई, 2019 को जारी किया गया।



५१  
मुकेश बारैठ  
(आर.ए.एस.) एवं  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)  
(फास्ट श्रीगंगानगर नगर)